

महत्वपूर्ण / पंचायत निर्वाचन

संख्या—1992 / 33—3—2014—03राजीनामा/ 14

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,  
प्रमुख सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. निदेशक,<br>पंचायती राज,<br>उ0प्र0, लखनऊ। | 2. समस्त जिलाधिकारी,<br>जार प्रदेश। |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|

पंचायती राज अनुभाग—3

लखनऊ दिनांक 16 अगस्त, 2014

विषय : ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/परिसीमन किया जाना।

महोदय,

शासनादेश संख्या—1988 / 33—3—2014—03राजीनामा/ 2014, दिनांक 14 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा प्रदेश के अनेक ग्रामों की जनगणना वर्ष 2011 के प्रकाशित आंकड़े के अनुसार जनसंख्या एक हजार से अधिक होने, बाढ़ आदि कारणों से ग्राम की प्रारिथति बदल जाने, कई राजस्व ग्रामों में नई जनसंख्या के आने तथा गौव से जनसंख्या के घले जाने एवं जनगणना 2011 के आंकड़ों में बदली हुई स्थिति के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के आदेश दिए गये हैं, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों/प्रस्तावों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए—

उक्त सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम—1947 की धारा—3 एवं धारा—11(ब) में व्रमण ग्राम सभाओं की स्थापना तथा पंचायत क्षेत्र की घोषणा के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधिक क्रियाएँ की जाएँ—

"3— ग्राम सभा राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम के लिए या ग्रामों के समूह के लिए एक ग्राम सभा, ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, स्थापित करेगी :—

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाए वहाँ सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नाम सभा के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

"11—ब. पंचायत क्षेत्र की घोषणा— (1) राज्य सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम, या ग्रामों के समूह जिनकी जनसंख्या, यथासाध्य, एक हजार हो, में समाविष्ट किसी क्षेत्र को, ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी राजस्व ग्राम या उसके किसी मजरे को, पंचायत क्षेत्र की घोषणा के प्रयोजनों के लिए विभाजित नहीं किया जायेगा :

(२) राज्य सरकार, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचना द्वारा किसी भी समय-

(क) किसी पंचायत क्षेत्र के क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करके या उससे निकाल कर, परिष्कार कर सकती है,

(ख) पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है, या

(ग) यह घोषणा कर सकती है कि कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है।"

अतः प्राप्त प्रस्तावों के निरस्तारण के सम्बन्ध में उपरोक्त पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा-3 व धारा-11(द) में तथा तदन्तर्गत निर्भित नियमावली के नियम संख्या-3 तथा 3-क में दी गई व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सिम्बलिक्षित आदेश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. ग्राम पंचायत के क्षेत्र में परिवर्तन का प्रस्ताव सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा अथवा उस ग्राम पंचायत के 50 या उससे अधिक निवासियों द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया जाएगा।
2. ग्राम पंचायत क्षेत्र का गठन जनगणना वर्ष 2011 के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।
3. किसी ग्राम पंचायत के पंचायत क्षेत्र के निर्धारण के लिए किसी राजस्व ग्राम या मजरे को विभाजित नहीं किया जाएगा।
4. किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में केवल ऐसे राजस्व ग्राम/ग्रामों को सम्मिलित किया जाएगा जो भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से निकटस्थ हों।
5. राजस्व ग्राम या ग्रामों को किसी पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित करने में यह भी ध्यान रखा जायेगा कि इनके मध्य दूसरी ग्राम पंचायत का कोई प्रादेशिक क्षेत्र न पड़ता हो।
6. ग्राम पंचायत में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्रामों के बीच में कोई नदी, नाला, पहाड़ या कोई प्राकृतिक अवरोध उसके बीच आवागमन में बाधक न हो।
7. एक से अधिक राजस्व ग्रामों से मिलाकर बनायी जाने वाली ग्राम सभा का नाम सर्वाधिक जनसंख्या वाले राजस्व ग्राम के नाम पर रखा जायेगा।
8. ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। ग्राम पंचायत पुनर्गठन के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रार्थना/पत्रों/प्रस्तावों को भी उक्त प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाय। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों/प्रस्तावों की एक पंजिका रखी जाएगी, जिसमें प्राप्त प्रस्ताव के लिए प्रस्तावों का विवरण, सम्बन्धित ग्राम पंचायतों व विकास खण्ड का नाम व कृत कार्यवाही का विवरण रखा जाएगा।
9. प्राप्त आवंटन पत्रों/प्रस्तावों पर प्रत्येक जनपद में निम्नवत् समिति द्वारा विचार किया जायेगा—

(क) जिलाधिकारी

अध्यक्ष

(ख) मुख्य विकास अधिकारी

सदस्य

- (१) अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत  
 (२) जिला पंचायत राज अधिकारी
- सदस्य सदस्य एवं सचिव
10. उक्त समिति द्वारा प्रत्येक प्रार्थना पत्र/प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एक स्वतः स्पष्ट आदेश पारित करते हुये उसका निस्तारण किया जायेगा और ग्राम पंचायत के क्षेत्र के परिवर्तन के संबंध में यथावश्यक प्रस्ताव निम्नलिखित प्रारूप पर ६ प्रतियों में जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० को विलम्बतम् ३०.०९.२०१४ तक प्राप्त कराया जायेगा।

#### सारिणी

कागजत्र-१									
जनपद का नाम—					पूर्ण स्थिति				
क्र. सं.	विकास क्षेत्र/ क्षेत्र व्याय	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम में सम्मिलित राजस्व नाम	क्र. सं.	विकास क्षेत्र/ क्षेत्र व्याय	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम में सम्मिलित राजस्व नाम	ग्राम पंचायती	संस्थापित स्थिति
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

11. जिलाधिकारी से प्राप्त संस्तुति एवं निर्धारित रूपपत्रों पर प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षणोपरान्त निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० द्वारा यथावश्यक ग्राम पंचायत क्षेत्र के पुनर्गठन/संशोधन की अधिसूचना निर्गत की जाएगी, एवं उसका प्रकाशन राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० लखनऊ से अधिसूचना असाधारण हिन्दी गजट के विधायी परिशिष्ट—भाग—४ (खण्ड—५) में कराया जायेगा।
12. ग्राम पंचायत के परिसीमन/पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र/प्रस्ताव प्राप्त करने, उसके निस्तारण और प्रकाशन आदि के लिए निम्नलिखित समय सारिणी निर्धारित वी जाती है :—

1. ग्राम पंचायत के पुनर्गठन/परिसीमन के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र/प्रस्ताव प्राप्त किया जाना।	25.08.2014 से 15.09.2014 तक
2. समिति द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों/प्रस्तावों का निस्तारण एवं निदेशालय को संस्तुतियां भेजा जाना।	30.09.2014 तक
3. निदेशालय स्तर पर परीक्षण और अधिसूचना निर्गत किया जाना।	01.10.2014 से 15.10.2014 तक
4. अधिसूचना का सरकारी गजट में मुद्रण और प्रकाशन	31.10.2014 तक

2— कृपया उपर्युक्त के संबंध में विभिन्न संचार माध्यमों यथा समाचार—पत्रों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रधार—प्रसार कराकर समस्त कार्यवाही समय—सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें और प्रभावित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन

/परिसीमन के स्वयम् द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव रूपपत्र-1, 2 तथा 3 पर दिनांक 30 सितम्बर, 2014 तक पंचायती राज निदेशालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही के सम्पन्न होने के पश्चात् याम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वाड़ों) के परिसीमन के सम्बन्ध में निर्देश पृथक से प्रसारित किये जाएंगे। पंचायतों के निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निर्वाचन कराने अपरिहार्य है। अतः समय सारिणी का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। कृपया इस कार्य को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)  
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०।
2. वै उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त, ऊर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, ऊर प्रदेश।
5. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, ऊर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पंचायत), ऊर प्रदेश।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, ऊर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं वाहित प्रस्ताव व अंतिम सूची समय से पंचायती राज निदेशालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० को विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)  
संयुक्त सचिव।

ग्राम पंचायत पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव

खण्डपत्र-१

जनपद-

पूर्व रिक्षति			संशोधित रिक्षति		
क्र. सं.	विकास खण्ड/ क्षेत्र पंचायत का नाम	न्याय पंचायत का नाम	क्र. सं.	विकास खण्ड/ क्षेत्र पंचायत का नाम	न्याय पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	1

ग्राम पंचायत पुनर्गठन हेतु प्रसाद

२५४-

୧୮

पूर्व स्थान					संशोधित स्थिति				
क्र. सं.	प्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में निवारित सदस्यों की संख्या	प्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	क्र. सं.	प्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में निवारित सदस्यों की संख्या	प्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में निवारित सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

**ग्राम पंचायत पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव**

**जनपद-**

**प्रारूप-3**

क्र.सं.	पूर्व स्थिति			क्र. सं.	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	न्याय पंचायत का नाम	न्याय पंचायत में समिलित ग्राम पंचायतों के नाम		विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	न्याय पंचायत का नाम	न्याय पंचायत में समिलित ग्राम पंचायतों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी  
प्रमुख सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| (1) निदेशक,   | (2) समस्त जिलाधिकारी, |
| पंचायती राज   | उत्तर प्रदेश।         |
| उ०प्र०, लखनऊ। |                       |

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक : 16 अगस्त 2014  
विषय: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वाड़ों) का परिसीमन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वाड़ों) के निर्धारण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या—1988 / 33-3-03राजीनामा / 2014, दिनांक—14-8-2014 के प्रस्तार-2 में त्रुटिवश अंकित “ग्राम पंचायतों का परिसीमन तत्समय जनसंख्या के वर्ष 1999 के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर” के स्थान पर “ग्राम पंचायतों का परिसीमन तत्समय जनसंख्या के वर्ष 1991 के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर” पढ़ा जाय।  
2— उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,  
(चंचल कुमार तिवारी)  
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०
3. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं वांछित प्रस्ताव व अंतिम सूची समय से पंचायती राज निदेशालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ०प्र० को विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।

आज्ञा से,

( राकेश कुमार )  
संयुक्त सचिव।